(b) Does not arise.

(c) to (e) It is not the general policy of Government to grant extension in service to Government servants beyond the age of soperain-nuation. However, there could be ocesidns when it becomes necessary to grant extension to a Government servant of exceptional merit or due to exigencies of work. Instructions on the subject of extension stipulate that extension of service after retirement may not be granted as a matter of routine, but may be resorted to only in very rare and exceptional circumstances. The overriding consideration for the grant of extension of service is that it must be clear in the public interests and, in addition, satisfy one of the following two conditions: —

(i) that the other officers are not ripe enough to take over the jobs; or

(ii) that the retiring officer is of outstanding merit. The exis-ing criteria and procedure on the subject of extension in service have been exolved with a view to ensure that extension of supert annuated officers is kept to the minimum and resorted to only in exceptional circumatanflieg.

भ्रष्टाचार तथा लाल-फीताशाही को समाप्त करने के लिए नये प्रशासनिक सुधार करना

3980. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार तथा लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिये कुछ नये प्रशासनिक सुधार करने का प्रस्ताव रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) सरकार में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही से निपटने के लिये व्यापक ढांचा पहले ही निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिये समय-समय पर नये उपाय किये जाते हैं ।

इस ढांचे के तीन मुख्य पहलू हैं:-

(1) निवारक सर्तकता ;

(2) निगरानी और सुरागरसानी; और

(3) निवारक दंडात्मक कार्रवाई ।

इन सभी पहलुओं के लिये संस्थागत व्यवस्थाऐं पहले ही कर दी गई हैं । इनमें प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुये, समय-समय पर संशोधन और सुधार किये जाते हैं ।

भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के बीच संबंध सुविदित है और इन दोनों के बीच गठ-जोड़ को समाप्त करने के लिये कई वर्षों, विशेषत: 1985 से कई उपाय किये जा रहे हैं । प्रशासन की प्रक्रियाओं को, गोपनीयता की आवश्यकताओं के अनुरुप अधिक सुस्पष्ट बनाने के उद्देश्य से, कार्य विधियों के सरलीकरण, शक्तियों के प्रत्यायोजन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये गये हैं । इनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, लाल-फीताशाही और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अस्पष्टतया को समाप्त करना है । यह एक सतत प्रक्रिया है ।

Retirement Age of Centrol Governmen Employees

3981. SHRI V. HANUMANTHA RAO; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposals to ehance the age of pertirementi for officers of some All India Services;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to study the proposals to enhance the age of retirement for Central Government employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA); (a) No, Sir;

(b) Does not arise;

(c) No, Sir.

Membership of Govemment Employees Associations

3982. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) which of the different existing associatioins of employees . at Central Government Ministries/De-panmente/Ingtrumentalities adopting the CCS (Recognition of Service Association) Rules 1993 are asked to prove 35 per cent membership strength and which one 15 per cent strength soon after the (promulgation/adoption of these Rules; and

(b) in what manner the associations which had not proved their membership-strength even one to two years before the promulgation/ adoption of these Rules, are being dealt with after promulgation/adoption of these Rules?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) Not more than two associations for a distinct category as defined by respective Ministry/DepaqtmentB having 35 per cent membership can be considered for recognition subject to fulfilment of the prescribed conditions in terms of CCS (Recognition of Service Associations) Rules, 1993. However where there is only one association which cammannds) commands more than 35 per cent membership , another association with, second highest memebrship, although less than 35 per cent may be recognised if it commands at-feast 15 'per cent membership.

This will apply to all existing recognised associations or any other association seeking recogni tion.

सतर्कता आयोग के समक्ष लंबित मामले

3983. श्री अजीत जोगी :
श्री एस.एस. सुरजेवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग को वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान क्रमश: कुल कितने मामले प्राप्त प्राप्त हुये;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य-वार बड़े और छोटे दंड लगाने संबंधी कितने-कितने मामले प्राप्त हुये; और

(ग) आयोग के समक्ष आज तक कितने मामले लंबित है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गेट आल्वा) : (क) कैलेंडर वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त सतर्कता संबंधी मामलों की कुल संख्या नीचे निर्दिष्ट की गई है:—

1993	4166
1994	4378

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार का प्रसार केवल उन्हीं संगठनों तक है जहां भारत संघ के कार्यकारी नियंत्रण का प्रसार है । अत: सलाह के लिये प्राप्त मामले राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं ।